

4<sup>10</sup>/<sub>19</sub>

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी व वादी / प्रार्थी उपस्थित नहीं। न्यायालय समय में हुई कार्रवाई आवाज लगाये जाने पर भी वकील प्रार्थी व प्रार्थी उपस्थित नहीं आये। पत्रावली अदम्य रैररी, अदम्य राजरी में खारिज की जाती है। पत्रावली अदम्य शूमांर डोकंर बाद तबतीव, तबतीव हाखिठ दफ्तर है।

जा  
सहायक कलक्टर  
वीकानेर शहर

